रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271032
CG-DL-E-18032026-271032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947
No. 185] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

सा.का.नि. 191(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: –

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) में खंड (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

(ण) "असंदत्त प्रयोक्ता फीस" से राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड के उपयोग के लिए मोटर यान द्वारा देय प्रयोक्ता फीस के अभिप्रेत है, जहां इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण अवसंरचना ने ऐसे यान के गुजरने को दर्ज (रिकॉर्ड) किया है, लेकिन इन नियमों के अधीन लगाए गए लागू प्रयोक्ता फीस उदगृहीत नहीं किया है।

3. उक्त नियमों के, नियम 14 के उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(2क) उप-नियम (2) को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, यांत्रिक यान के स्वामी से असंदत्त प्रयोक्ता फीस निम्नलिखित तरीके से वसूल की जाएगी, अर्थात्:—

(क) यान का विवरण, घटना की तिथि और स्थान तथा देय असंदत्त प्रयोक्ता फीस की राशि निर्दिष्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सूचना (जिसे इसमे इसके पश्चात "ई-नोटिस" कहा जाएगा) राष्ट्रीय यान रजिस्ट्री (वाहन) में उपलब्ध यान के स्वामी के नाम पर जारी की जाएगी;

(ख) ई-नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजा जा सकता है, जिसमें लघु संदेश सेवा (एसएमएस), इलेक्ट्रॉनिक मेल (ई-मेल), मोबाइल आधारित संदेश एप्लीकेशन या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हैं और इसे वास्तविक रूप में भी भेजा जा सकता है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर ई-नोटिस उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) केन्द्रीय सरकार या उसका कार्यकारी प्राधिकारी, प्रवर्तन उपायों और ऐसी असंदत्त प्रयोक्ता फीस की वसूली के प्रयोजनों के लिए आवश्यक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली का राष्ट्रीय यान रजिस्ट्री (वाहन) के साथ तकनीकी और प्रणालीगत एकीकरण कर सकता है।

(2ख) उप-नियम (2क) के अधीन जारी ई-नोटिस के अनुसरण में देय असंदत्त प्रयोक्ता फीस, नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन निर्दिष्ट यान की संबंधित श्रेणी पर लागू प्रयोक्ता फीस के दोगुने के बराबर होगा और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए भुगतान के अन्य माध्यम से किया जाएगा।

परंतु जहां ई-नोटिस जारी होने के समय से बहत्तर घंटों के भीतर असंदत्त प्रयोक्ता फीस का भुगतान किया जाता है, तो देय राशि संबंधित यान श्रेणी पर लागू प्रयोक्ता फीस तक सीमित होगी, जैसा कि नियम 4 के उप-नियम (2) में यथा निर्दिष्ट है।

(2ग) किसी ई-नोटिस से व्यथित किसी यांत्रिक यान का कोई स्वामी या चालक, उसके जारी होने के समय से बहत्तर घंटों के भीतर, निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2घ) जहां उप-नियम (2ग) के अधीन कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, वहां निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही, जैसा भी मामला हो, ऐसे अभ्यावेदन की जांच करेगा और उसका निपटान करेगा तथा ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रजिस्ट्रीकृत स्वामी को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा।

परंतु यदि अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन की समाप्ति पर उसका निपटान नहीं किया जाता है, तो निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही का असंदत्त प्रयोक्ता फीस का दावा समाप्त हो जाएगा।

(2ङ.) यदि किसी यांत्रिक यान का स्वामी या चालक ई-नोटिस जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर असंदत्त प्रयोक्ता फीस का भुगतान करने में विफल रहता है और उप-नियम (2ग) के अधीन कोई अभ्यावेदन लंबित नहीं है, तो उप-नियम (2ख) के अधीन यान स्वामी से वसूल किया जाने वाली असंदत्त प्रयोक्ता फीस की राशि राष्ट्रीय यान रजिस्ट्री (वाहन) में दर्ज की जाएगी; और असंदत्त प्रयोक्ता फीस का भुगतान होने तक वाहन के माध्यम से ऐसे यान के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाए।

[फा.सं. एच-25016/06/2025-टोल (ई-262154)]
चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 के द्वारा से प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात में इन्हें संख्या सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011; सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.नि. 2 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016; सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016; सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017; सा.का.नि. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.नि. 920(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018; सा.का.नि. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.नि. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020; सा.का.नि. 523(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020 और सा.का.नि. 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020; सा.का.नि. 467(अ), तारीख 24 जून, 2022; सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2023; सा.का.नि. 556 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2024; सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 17 जून, 2025; सा.का.नि. 437 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2025; सा.का.नि. 734 (अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2025; सा.का.नि. 01 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2025 और सा.का.नि. 107 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2026 के द्वारा से संशोधित किए गए थे।

Ministry of Road Transport and Highways

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2026

G.S.R. 191(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely: –

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:–

'(o) "unpaid user fee" means the user fee payable by a motor vehicle for use of a section of a National Highway, where the Electronic Toll Collection Infrastructure has recorded the passage of such vehicle but has not received the applicable user fee levied under these rules.'.

3. In the said rules, in rule 14, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

'(2A) For the purposes of giving effect to sub-rule (2), unpaid user fee shall be recovered from the owner of the mechanical vehicle in the following manner, namely :—

(a) electronic notice (hereinafter referred to as the "e-notice") shall be issued specifying the details of the vehicle, the date and location of occurrence, and the amount of unpaid user fee payable, in the name of the owner of the vehicle as available in the National Vehicle Registry (VAHAN);

(b) e-notice may be served by electronic means including Short Message Service (SMS), electronic mail (e-mail), mobile-based messaging applications, or through such other electronic mode as may be specified by the Central Government, and may also be served in physical form;

(c) e-notice shall be made available on online portal to be specified by the Central Government for this purpose;

(d) the Central Government or its executing authority may undertake technical and system integration of the National Electronic Toll Collection system with the National Vehicle Registry (VAHAN) as may be necessary for the purposes of enforcement measures, and realisation of such unpaid user fee.

(2B) The unpaid user fee payable in pursuance of an e-notice issued under sub-rule (2A) shall be an amount equal to two times the user fee applicable to the concerned category of vehicle, as specified under sub-rule (2) of rule 4, and shall be paid through electronic mode or through such other mode of payment, as may be specified by the Central Government from time to time:

Provided that where the unpaid user fee is paid within seventy-two hours from the time of issuance of the e-notice, the amount payable shall be limited to the user fee applicable to the concerned category of vehicle, as specified under sub-rule (2) of rule 4.

(2C) Any owner or driver of a mechanical vehicle aggrieved by an e-notice may, within seventy-two hours from the time of issuance thereof, submit a representation through the designated electronic portal.

(2D) Where a representation has been submitted under sub-rule (2C), the executing authority or the concessionaire, as the case may be, shall examine and dispose of such representation and communicate its decision to the registered owner by electronic means within five days from the date of receipt of such representation:

Provided that, in case the representation not disposed of on the expiry of five days from the date of receipt of representation, then the claim of the executing authority or concessionaire to the unpaid user fee shall cease.

(2E) If the owner or driver of a mechanical vehicle fails to pay the unpaid user fee within fifteen days from the date of the issuance of the e-notice and no representation made under sub-rule (2C) is pending, the amount

of unpaid user fee under sub-rule (2B) recoverable from the vehicle owner shall be posted onto the National Vehicle Registry (VAHAN); and such restrictions may be imposed on the services provided in respect of the such vehicle through VAHAN, as may be specified by the Central Government, until the unpaid user fee is paid.'.

[F. No. H-25016/06/2025-Toll (E-262154)]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 838 (E) dated the 5th December, 2008, and were subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 950(E), dated the 3rd December, 2010; G.S.R. 15(E), dated the 12th January, 2011; G.S.R. 756(E), dated the 12th October, 2011; G.S.R. 778(E), dated the 16th December, 2013; G.S.R. 26(E), dated the 16th January, 2014; G.S.R. 831(E), dated the 21st November, 2014; G.S.R. 2(E), dated the 29th December, 2014; G.S.R. 220(E), dated the 23rd March, 2015; G.S.R. 585(E), dated the 8th June, 2016; G.S.R. 1114(E), dated the 2nd December, 2016; G.S.R. 248(E), dated the 14th March, 2017; G.S.R. 427(E), dated the 7th May, 2018; G.S.R. 920(E), dated the 25th September, 2018; G.S.R. 942(E), dated the 20th December, 2019; G.S.R. 298(E), dated the 15th May, 2020; G.S.R. 523(E), dated the 24th August, 2020 and G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2020; G.S.R 467 (E) dated the 24th June, 2022; G.S.R 725 (E), dated the 6th October, 2023; G.S.R 556 (E), dated the 9th September, 2024; G.S.R. 388 (E) dated the 17th June, 2025; G.S.R. 437 (E) dated the 1st July, 2025; G.S.R. 734 (E) dated the 3rd October, 2025; G.S.R. 01 (E) dated the 31st December, 2025 and G.S.R. 107 (E) dated the 4th February, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.18 11:39:38 +05'30'